न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमाराम, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :–221/2022

प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थीगण

हकिम खां पुत्र श्री कासम खां, जाति मुसलमान निवासी काठानांडा, ग्राम पंचायत भूंका वगतसिंह, तहसील सिणधरी जिला बाडमेर

1. अली खां वल्द सुभान खां
2. इनायत खां वल्द सुभान खां
3. अमरेखा खां वल्द सुभान खां
4. खीवरेखा वल्द सुभान खां
5. एमणों पत्नी सुभान खां6. हबीब खां वल्द अकबर खां
7. मिसरेखा वल्द अकबर खां
8. मूसे खां वल्द अकबर खां, फौत कायम मुकाम वारीशान

8/1 नवाब खां पुत्र मूसे खां

8/2 हैदर खां पुत्र मूसे खां

8/3 सलीम खां पुत्र मूसे खां

3/4 एमणी पत्नी मूसे खां

9. आलम खां वल्द अकबर खां
10. अहमद खां वल्द अकबर खां
11. रहीमों पत्नी अकबर खां
12. गनी खां पुत्र अकबर खां, कुवांरा लाऔलाद फौत (का०मु० विप्रार्थी सं० 6 से 11)
13. आदम खां वल्द खमीश खां
14. कोजे खां वल्द खमीश खां
15. उमर खां वल्द खमीश खां
16. रजाक खां वल्द खमीश
17. कुबार्न खां वल्द खमीश खां

विप्रार्थी संख्या 8 से 11 तक लोग कुदरती वल्लिया माता

दली पत्नी खमीश खां

18. दुली पत्नी खमीश खां
19. सकूर खां वल्द कासम खां
20. शरीफ खां वल्द कासम खां

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:20:17 IST
Reason: SelfAttested

...ड अधिकारी
...सिणधरी

21. विलाल खां वल्द कासम खां

22. धापू उर्फ धापू बानू पत्नी कासम खां

23. मठार खां वल्द जानू

24. लखमीर वल्द जानू

25. लतीफ वल्द मुरीद

26. रसुल वल्द मुरीद

27. रिमू वल्द दीनू

जातियान मुसलमान, साकिनियत् काठानाडा, ग्राम पंचायत भूंका वगतसिंह, पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह, तहसील सिणधरी, जिला बाडमेर।

28. शाखा प्रबन्धक एस. बी. बी. जे. वर्तमान एस०बी०आई० शाखा भूकावगतसिंह

29. शाखा प्रबन्धक बी०सी०सी०बी० शाखा सिणधरी

30. जरिये राज्य सरकार तहसीलदार सिणधरी, जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1.श्री चिमन सिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2. श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता विप्राथी सं. 1 से 4,13, 19 से 23 व 26

3. विप्राथी सं 5 से 12,14 से 18 व 27 से 30 एकतरफा।

4. विप्रार्थी सं. 30 के पैरोकार उपस्थित।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:20:17 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक–

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा काठानाडा खेत खसरा संख्या 559, 556, 558 रकबा कमशः 16.6897, 28.5415, 0.0566 हैक्टेयर कुल रकबा 45.2878 हैक्टेयर की भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी को विरासत में प्राप्त हुई है अर्थात प्रार्थी के पिता कासमखां के

निधन होने पर बतौर विधिक वारिस प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 19 से 22 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए। कि प्रार्थी का वास्तविक नाम हकिम खां वल्द कासम खां के स्थान पर उक्त खेतों में राजस्व की भूलवंश से पप्पे खां वल्द कासम खां गलत नाम दर्ज हो रखा है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित भूमि में दायर पप्पे खां वल्द कासम खां के स्थान पर हकिम खां वल्द कासम खां दुरूस्त करवानें हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए। जो विप्रार्थीगण सं 5 से 12,14 से 18 व 27 से 30 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी सं. 1 से 4,13, 19 से 23 व 26 की तरफ से वकील द्वारा उपस्थित होकर इकबाली जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुए तदनुसार नाम दुरूस्त किये जाने में सहमति व्यक्त की।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए कथन किया मौजा काठानाडा खेत खसरा संत्रया 559, 556, 558 रकबा क्रमशः 16.6897, 28.5415, 0.0566 हैक्टेयर कुल रकबा 45.2878 हैक्टेयर की भूमि अवस्थित है। जिसके प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 19 से 22 रिकार्डड सहखातेदार है, कि प्रार्थी का वास्तविक नाम हकिम खां वल्द कासम खां के स्थान पर उक्त खेतों में राजस्व की भूलवंश से पप्पे खां वल्द कासम खां गलत नाम दर्ज हो रखा है। जिसके कारण प्रार्थी को सरकारी योजनाओं का कोई फायदा नहीं हो रहा हैं, आगे ओर कथन किया कि विप्रार्थी संख्या 30 तहसीलदार सिणधरी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है, कि प्रार्थी का वास्तविक नाम पप्पे खां वल्द कासम खां न होकर **हकिम खां वल्द कासम खां** है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में इन्द्राज **पप्पे खां वल्द कासम खां** के स्थान पर हकिम खां वल्द कासम खां दुरूस्ती किये जाने का आदेश फरमावें।

4. हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात व जवाब का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मौजा काठानाडा खेत खसरा संत्रया 559, 556, 558 रकबा क्रमशः 16.6897, 28.5415, 0.0566 हैक्टेयर कुल रकबा 45.2878 हैक्टेयर की भूमि अवस्थित है। विवादित भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी 19 से 22 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी का नाम **हकिम खां वल्द कासम खां** इन्द्राज है, जबकि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है,कि प्रार्थी का विवादित भूमि में गलत नाम **पप्पे खां वल्द कासम खां** इन्द्राज हो रखा है, क्योकि प्रार्थी का वास्तविक नाम हकीम खां है। इससे साबित होता है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम **पप्पे खां** न होकर **हकिम खां वल्द कासम खां** है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के गलत नाम इन्द्राज की प्रविष्टि तत्कालीन हल्का पटवारी की गलती से प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Ram
Date: 2022.12.31 17:20:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

को अपूरणीय क्षति हो रही है, जिसका प्रार्थी दोषी नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी सही नाम **हकिम खां वल्द कासम खां** दुरूस्त करवानें का हकदार है। इसी प्रकार तहसीलदार सिणधरी ने अपने जबाव में स्वीकार किया है कि प्रार्थी का विवादित भूमि में गलत नाम इन्द्राज हो रखा है,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम **हकिम खां वल्द कासम खां** है। एवं पत्रावली के सलंग्न सरकारी दस्तावेजात यथा–आधार कार्ड प्रति, वोटरकार्ड प्रति, परिवार राशन कार्ड पाठशाला प्रवेशानुज्ञा एवं जनआधार कार्ड की प्रति में प्रार्थी का नाम **हकिम खां वल्द कासम खां** अंकित है, एवं विवादित भूमि के सहखातेदार विप्रार्थी संख्या 1 से 26 को कोई उजर–ऐतराज नहीं है तथा प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने हेतु विप्रार्थी की पूर्ण सहमति व्यक्त होती है। उपरोक्त विवेचन से साबित होता है,कि प्रार्थी का विवादित भूमि में गलत नाम **पप्पे खां वल्द कासम खां** इन्द्राज हो रखा है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम **हकिम खां वल्द कासम खां** है। जो प्रार्थी विवादित भूमि में **पप्पे खां वल्द कासम खां** के स्थान पर **हकिम खां वल्द कासम खां** दुरूस्ती करवानें के योग्य है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा काठानाडा खेत खसरा संख्या 559, 556, 558 रकबा क्रमशः 16.6897, 28.5415, 0.0566 हैक्टेयर कुल रकबा 45.2878 हैक्टेयर **भूमि के राजस्व रिकार्ड** (जमाबंदी) **में अंकित प्रविष्टि पप्पे खां वल्द कासम खां के स्थान पर हकिम खां वल्द कासम खां दुरूस्त किये जानें के आदेश दिये जाते** है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

आदेश आज दिनांक 29/12/22 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:20:17 IST
Reason: SelfAttested